प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022
   प्र0सू0रि0 सं. 64/22 दिनांक 28-2-2022

2. (I) अधिनियमः–धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.दं.सं.
   (II) अधिनियम .... धारायें
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.........................

3 रोजनामचा आम रपट संख्या 605 समय 6.45 PM.
   (ब) अपराध घटने का दिन–रविवार दिनांक 27.02.2022 समय 11.15 एएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– सूत्र सूचना

5. घटनास्थलः– मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर
   (अ पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– –
   (ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम– सरकार जरिये श्री रघुवीर शरण शर्मा
   (ब) पिता/पति का नाम–
   (स) जन्म तिथी–
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय–पुलिस निरीक्षक, विअनुई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ।
   (ल) पता–

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

   1– श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी)

   2– श्री दिनेश कुमार टेलर पुत्र श्री राधेश्याम टेलर जाति टेलर उम्र 52 साल निवासी मकान नम्बर 119ए, सी–क्लास प्रताप नगर, उदयपुर हाल वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (उपायुक्त जीएसटी)

   3– श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मदनलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 58 साल निवासी बी–14, कमला विहार, पुलिस थाना प्रतापनगर, भीलवाडा हाल संचालक मदन लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाडा

   4– श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति महाजन उम्र 55 साल निवासी प्लाट नम्बर 3ए–7, आरसी व्यास कॉलोनी, पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा

   5–श्री नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी मकान नम्बर 32/197, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, सेक्टर –06, पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर।

   6– वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–4,00,000/– रूपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 25–02–2022 को मन रघुवीर शरण शर्मा, निरीक्षक पुलिस, विअनुई, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर को श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर एवं श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक, विअनुई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के निर्देशानुसार सूत्र सुचना पर श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक तकनीकी शाखा जयपुर से समन्वय कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश मिले। इस सम्बन्ध में श्री राजेश दुरेजा, पुलिस उप अधीक्षक, तकनीकी शाखा, जयपुर की सूत्र सूचना दिनांक 25.02.2022 मय श्रीमान अति0 महानिदेशक महोदय एवं श्रीमान् अति0 पुलि अधीक्षक के पृष्ठांकित आदेश से इस आशय की प्राप्त हुई कि भीलवाडा में पदस्थापित वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यवसायियों के माध्यम से उन्हें वाणिज्यिक कर में अनुचित लाभ पहुंचाया जाकर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, उदयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्री राजमल अग्रवाल उर्फ राजू अग्रवाल, संचालक, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, भीलवाडा तथा श्री लक्ष्मण अग्रवाल, अग्रवाल इलैक्ट्रोविजन, भीलवाडा के माध्यम से भीलवाडा के व्यवसायियों एवं ट्रांसपोर्टस को वाणिज्यिक कर में फायदा पहुंचाने के लिये मिलीभगत कर, अवैध संरक्षण प्रदान करते हुए नियमित रूप से मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। उक्त सूचना का गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसकी तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि होने पर संबंधित संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाईल नम्बर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त अन्तावरोध पर लिये गये तथा गोपनीय रूप से सत्यापन भी किया गया तो सूत्र सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इसी क्रम में अन्तावरोध वार्ताओं के दौरान प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा में पदस्थापित अधिकारीगण द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिये संदिग्ध व्यक्ति श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल तथा श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल से अवैध रूप से मिलीभगत कर उनके मार्फत मासिक बंधी के रूप में नियमित तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों से रिश्वत राशि संदिग्ध व्यक्ति श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल तथा श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल द्वारा एकत्रित की जाकर वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा में पदस्थापित अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में संदिग्ध व्यक्ति श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्य को संरक्षण प्रदान कराने की एवज में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों से एकत्रित की गई रिश्वत राशि अपने भतीजे श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत संदिग्ध लोकसेवक मो0 हुसैन अंसारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग हाल अति0 आयुक्त जीएसटी के निवास स्थान पर उनको सुपुर्द करने की सम्भावना है। उक्त एकत्रित रिश्वत राशि संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल उर्फ गोनू द्वारा संदिग्ध लोकसेवक मो0 हुसैन अंसारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग हाल अति0 आयुक्त जीएसटी को उनके निवास स्थान पर दी जावेगी।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टॉफ सर्वश्री शिवसिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री सुभाष कानि0 465, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्रीमती संतोष महिला कानि0 226 एवं स्वतंत्र गवाह श्री मोहन कुमार एवं राजेन्द्र प्रसाद माचरा के दिनांक 26.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर उदयपुर पर पहूंचा। उक्त सूत्र सूचना के क्रम में संदिग्ध व्यक्ति/लोकसेवकों की गोपनीय निगरानी में पूर्व से मामूरशुदा श्री केशर सिंह हैड कानि. नं. 38, श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा हैडकानि0 15, तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर से निरन्तर सम्पर्क में रहा तथा उदयपुर पहुंचकर तकनीकी शाखा के उक्त कार्मिकों से अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में जानकारी की गई तो श्री केशर सिंह, हैडकानि0 ने अवगत कराया अन्तावरोध वार्ताओं से प्रकट हुआ है कि श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों एकत्रित रिश्वत राशि अपने भतीजे श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत संदिग्ध लोकसेवक मो0 हुसैन अंसारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग हाल अति0 आयुक्त जीएसटी के निवास स्थान पर भिजवायी जायेगी, जो सम्भव है कि उक्त रिश्वत राशि संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल द्वारा दिनांक 27.02.2022 को प्रातः लोकसेवक श्री मो. हुसैन को अंसारी को सुपुर्द की जावेगी।

इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री केशर सिंह हैडकानि0 38 को निर्देश दिये कि वह श्री नीलेश अग्रवाल का पीछा करते हुये चलें और समय–समय पर मुझे सुचित करें। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं जाब्ते के संदिग्ध आरोपी श्री मो0 हुसैन अंसारी के निवास स्थान के बाहर आस–पास छुपाव हासिल करते हुये संदिग्ध की निगरानी में मूकीम हुआ। श्री केशर सिंह द्वारा मन निरीक्षक पुलिस को दिनांक 27.02.2022 को समय करीब 10.30 ए.एम पर सूचना दी गई कि प्रकरण से सम्बन्धित संदिग्ध व्यक्ति नीलेश अग्रवाल, कार नं. आरजे 27 सीजी 7820 फोर्ड फ्रीस्टाईल से रवाना होकर, श्री एम.एच. अंसारी, डी.सी., वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा के निवास में एक हरे रंग की थैली हाथ में लिये प्रवेश कर गये है कुछ समय पश्चात् श्री नीलेश अग्रवाल, घर से बाहर आया और फोन पर किसी से बात करने लगा। उनके द्वारा वार्ता समाप्त